निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1939 (श0)

संख्या 25 पटना, बुधवार, 21 जून 2017 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-37	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	38-38	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	पूरक	---
		पूरक-क	39-41

8 जून 2017

सं० 15/एम 1–38/2014–1147—बिहार राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में निजी क्षेत्र में के0के0 विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय समाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, बेकार बाँध, धनबाद से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा–4 के अधीन मूल्याकंन/समीक्षोपरांत एवं राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु निर्गत किए गए आशय पत्र में निहित शर्त्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत समाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, बेकार बाँध, धनबाद को बिहार राज्य के नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में निजी क्षेत्र में के0के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

यह विश्वविद्यालय के0के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 14—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in